सं० ओ० वि०/एफ०डी०/26-87/10352.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० भूटानी इन्टरप्राइजिज नं० 222, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री मोहिन्द्र कुमार मार्फत श्री बी. एम. गुप्ता ई-74, डबुआ ी, फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों ोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, , के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम ा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय ाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद त अथवा संबंधित मामला है :—

.क्या श्री मोहिन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ.डी./35-87/10359.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० भंडोली सहकारी ऋण ा समिति लि०, भंडोली, डा० हसनपुर, तहसील हाडल, जिला फरीदाबाद के श्रमिक श्री मदन लाल, पुत्र श्री रामचरण श्री रोशन लाल शर्मा, प्रेजीडेन्ट, जनरल इंजिनियरिंग वर्करज यूनियन (रजि) 1के/16, एन०आई०टी० फरीदाबाद, उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों ोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, ाथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय ाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद गत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री मदन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि० एफ. डी./37-87/10370.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० न्यू पोली पैक, प्रा० लि०, ं० 44, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम सागर, पुत्र श्री गंगा प्रसाद शाह, मार्फत सोटू 2/7, गांधी कालोनी फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों ग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम, 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, ढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 न गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय ाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम सागर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 11 मार्च, 1987

सं० ओ० वि०/अम्बाला/90-86/10555.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता कन्स्ट्रेक्शन डिविजन नं० 1, हरियाणा राज्य, बिजली बोर्ड, अम्बाला शहर के श्रमिक ी चन्द, पुत्र श्री अनंत राम, गांव व डा० राजोली, जिला अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों ग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 क्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला र्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री धर्मी चन्द की सेवा/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?